कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख) जिला – छिन्दवाडा

ई–मेल आई.डी.– slrchi@nic.in दूरभाष नं0:–07162.(243423)

क्रमांक / 1140 / अ0भू0अ0 / स0अ0भू0अ0 / 2024 छिंदवाडा,दिनांक 21 / 08 / 2024

प्रति,

तहसीलदार / नायब तहसीलदार (सर्व)
जिला छिंदवाडा

विषय :– नामांतरण आदेशों में भूमि का बटांकन किये जाने के संबंध में ।

विषयान्तर्गत लेख कि राजस्व महाअभियान दिनांक 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक संचालित है राजस्व महा–अभियान के अन्तर्गत तहसील न्यायालयों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पंजीकृत बैनामा के आधार पर क्रेता / आवेदक द्वारा भूमि का अंश भाग क्रय करने के कारण, नामांतरण प्रकरणों में तहसीलदार / नायब तहसीलदार न्यायालयों द्वारा पारित आदेशो में क्रेता / आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक से दर्ज किये जाने का आदेश पारित किये जा रहे है जबकि बैनामा में निर्धारित स्केल में क्रय की गई भूमि के अंश भाग का स्केच (नक्शा) संलग्न नही होता है, इसके पश्चात भी पटवारी द्वारा खसरा में क्रेता के नाम से पृथक खसरा बटांकन निर्मित कर दिया जाता है और नक्शा पर बटाकंन नहीं किया जाता है, जिससे खसरा एवं नक्शा में एकरूपता नहीं होती है एवं छोटे भू खण्डो / प्लाटो के नामान्तरण प्रकरणो में भी खसरे में पृथक से खसरा बंटाकन निर्मित किया जाता है जबकि ऐसे छोटे भूखण्डो को पटवारी नक्शा शीट पर बंटाकन नही बनाये जा सकते जिससे लम्बित नक्शा तरमीम की संख्या में लगातार वृद्वि हो रही है। अतः ऐसे भूखण्डो / प्लाटो के नामान्तरण आदेश उपरान्त खसरे में पृथक से बंटाकन न किया जाकर विक्रेता के साथ संयुक्त रूप से शामिल खाते में दर्ज कर खसरे में भूमि का हिस्सा या भाग दर्शाया जावे तथा म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र–एफ–2–14 / 2018 / सात / शा.7 भोपाल दिनांक 08 अप्रैल 2019 में उल्लेखित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (भू अभिलेखो में नामान्तरण) नियम 2018 के अनुसार में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर
जिला छिंदवाडा

पृ.क्रमांक / 1140 / अ0भू0अ0 / स0अ0भू0अ0 / 2024 छिंदवाडा,दिनांक 21 / 08 / 2024

प्रतिलिपि–

अनुविभागीय अधिकारी सर्व जिला छिंदवाडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर
जिला छिंदवाडा

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner